

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट,
नई दिल्ली - 110006

प्रेस विज्ञप्ति

- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयार: निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीईओ ने राजनीतिक दलों से की मुलाकात
- चुनाव पूर्व ब्रीफिंग में आदर्श आचार संहिता और चुनाव व्यय निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया
- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया

नई दिल्ली

दिनांक: 08.01.2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 की घोषणा के बाद, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) श्रीमती आर. एलिस वाज ने आज राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और चुनाव व्यय निगरानी उपायों के कार्यान्वयन पर पार्टियों को जानकारी देना था।

बैठक में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

- आम आदमी पार्टी (आप)
- बहुजन समाज पार्टी (दिल्ली प्रदेश)
- भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली प्रदेश)
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) (मार्क्सवादी),
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (दिल्ली राज्य)
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)

बैठक के दौरान, श्रीमती आर. एलिस वाज ने आदर्श आचार संहिता के पालन के महत्व पर जोर दिया, जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो गई। उन्होंने राजनीतिक अभियानों, नैतिक प्रथाओं और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियों के निषेध के लिए प्रमुख दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला।

सीईओ ने चुनाव व्यय की निगरानी के उपायों को भी रेखांकित किया , जिसमें व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, निगरानी दल और उल्लंघनों पर नज़र रखने के लिए नियंत्रण कक्षों की स्थापना शामिल है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अभियान के वित्त में पारदर्शिता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर व्यय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

बैठक ने खुले संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया , जहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए और अपनी प्रतिक्रिया साझा की।
